

2280  
2017



### वांछित विवरण उपहार पत्र

- क्र. B 76281
- 22
1. मालियत : शून्य
  2. सर्किल रेट मूल्यांकन : रु 28,71,500/-
  3. स्टाम्प शुल्क (दान पत्र हेतु) : रु 28,800/-
  4. प्रमुख क्षेत्र : स्थित मौजा चन्द्रबनी खालसा, परगना पछवादून, जिला देहरादून।
  5. विवरण दान की गई सम्पत्ति : आवासीय सम्पत्ति मय छत कि अधिकारों सहित जिसका भूमिखरी भूमि खाता खतौनी संख्या 00005 (फसली वर्ष 1420 से 1425) खसरा नं० 48 क्षेत्रफल 106 वर्गमीटर स्थित मौजा चन्द्रबनी खालसा, परगना पछवादून, जिला देहरादून जिसके भू-तल पर निर्मित क्षेत्रफल 72.89 वर्गमीटर एवं प्रथमतः तल पर निर्मित क्षेत्रफल 78.46 वर्गमीटर है कुल निर्मित क्षेत्रफल 151.35 वर्गमीटर है।
  6. सम्पत्ति का प्रकार : आवासीय सम्पत्ति
  7. मुख्य मार्ग से दूरी : उपहार में दी जाने वाली सम्पत्ति मुख्य सहारनपुर रोड से 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।
  8. सर्किल रेट : रु 5400/- प्रति वर्ग मीटर
  9. निर्माण की दर : रु 15000/- रुपये
  10. उपहारदाता का नाम व पता : श्री अनीश बिष्ट पुत्र स्व० श्री दीवान सिंह निवासी-ग्राम चन्द्रबनी खालसा, पो०ओ० मोहब्बेवाला, जिला देहरादून उत्तराखण्ड।  
**PAN-AKAPB3737H**
  11. उपहारग्रहिता का नाम व पता : श्रीमती मोनिका बिष्ट पत्नी श्री अनीश बिष्ट निवासी-ग्राम चन्द्रबनी खालसा, पो०ओ० मोहब्बेवाला, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।  
**Adhaar-872935676842**
  12. e-Stamp No. : **IN-UK 20372 18095 6844D**

1/2/17

2/2/17




## छायाचित्र उपहार विलेख

आवासीय सम्पत्ति मय छत कि अधिकारों सहित जिसका भूमिखरी भूमि खाता खतौनी संख्या 00005 (फसली वर्ष 1420 से 1425) खसरा नं० 48 क्षेत्रफल 106 वर्गमीटर स्थित मौजा चन्द्रबनी खालसा, परगना पछवादून, जिला देहरादून जिसके भू-तल पर निर्मित क्षेत्रफल 72.89 वर्गमीटर एवं प्रथमतल पर निर्मित क्षेत्रफल 78.46 वर्गमीटर है कुल निर्मित क्षेत्रफल 151.35 वर्गमीटर है।

उपहारदाता का नाम: श्री अनीश बिष्ट

उपहारगृहिता का नाम: श्रीमती मोनिका बिष्ट



19/4  
श्री अनीश बिष्ट

मोनिका  
हो उपहारगृहिता





सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK20372180956844P
Certificate Issued Date	: 22-May-2017 12:12 PM
Account Reference	: NONACC (SV) uk1201004/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK120100440821805035437P
Purchased by	: SMT MONIKA BISHT
Description of Document	: Article 33 Gift
Property Description	: MAUZA CHANDRABANI KHALSA D DUN
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: SHRI ANISH BISHT
Second Party	: SMT MONIKA BISHT
Stamp Duty Paid By	: SMT MONIKA BISHT
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 28,800 (Twenty Eight Thousand Eight Hundred only)



Hemant K. Nigral

Stamp Vendor  
Stamp Compounding

Please write or type below this line



VO 0006042846



## उपहार विलेख

श्री अनीश बिष्ट पुत्र स्व० श्री दीवान सिंह निवासी-ग्राम चन्द्रबनी खालसा, पो०ओ० मोहब्बेवाला, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

.....उपहारदाता

एवं

श्रीमती मोनिका बिष्ट पत्नी श्री अनीश बिष्ट निवासी-ग्राम चन्द्रबनी खालसा, पो०ओ० मोहब्बेवाला, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

.....उपहारग्रहिता

विदित हो कि मैं उपहारदाता इस विलेख के अन्त में वर्णित सम्पत्ति का एक मात्र मालिक, काबिज तथा सम्पत्ति, स्वामी हूँ तथा उपहारदाता का अपने सहखातेदार श्रीमती गोदावरी बिष्ट एवं प्रज्जवल बिष्ट नाबालिग के साथ आपसी पारिवारिक मौखिक बंटवारा पूर्व में हो चुका है तथा उक्त बंटवारे से प्राप्त भूमि/सम्पत्ति पर सभी सहखातेदार अपने-अपने हिस्से में आयी हुई भूमि/सम्पत्ति में काबिज चले आ रहे हैं तथा उपहारदाता अपने हिस्से में आयी हुई भूमि/सम्पत्ति का एक भाग इस विलेख के माध्यम से उपहारग्रहिता को उपहार स्वरूप प्रदान कर रहा है। इस प्रकार मुझ उपहारदाता का नाम अपने सहखातेदारों के साथ संयुक्त रूप से राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित चला आ रहा है तथा मुझ उपहारदाता को अपनी निम्न वर्णित सम्पत्ति को हर प्रकार हस्तान्तरण, दान, ~~विक्रय~~ आदि करने के पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। निम्न विवरण सम्पत्ति इस समय हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन, विक्रय, कुर्की, जमानत, वाद-विवादों आदि से पाक व साफ है।

उपहारग्रहिता उपहारदाता की पत्नी है जिस कारण उपहारदाता अपनी स्वेच्छा से व स्नेहवश सूची में वर्णित सम्पत्ति उपहारग्रहिता को इस उपहार पत्र द्वारा देना चाहता है। उपहारग्रहिता इस उपहारपत्र को अपनी इच्छा से इस उपहारपत्र द्वारा स्वीकार कर रही है जिसकी बावत कोई विक्रय मूल्य अदा नहीं किया जा रहा है। अतः मुझ उपहारदाता ने अपने स्थिर मन, बुद्धि व इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में बिना किसी के सिखलाये व बिना किसी दबाव के अपनी स्वतंत्र इच्छा से इस उपहार पत्र के अन्त में वर्णित सम्पत्ति अपनी पत्नी श्रीमती मोनिका बिष्ट पत्नी श्री अनीश बिष्ट निवासी-ग्राम चन्द्रबनी खालसा, पो०ओ० मोहब्बेवाला, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड को



उपहार स्वरूप दे दी है तथा उपहारग्रहिता ने इस उपहारपत्र को अपनी इच्छा से लेना स्वीकार किया है।

निम्न विवरण सम्पत्ति की बावत आज तक जो अधिकार मुझ उपहारदाता को प्राप्त है अथवा भविष्य में प्राप्त होने सम्भव हो, उन सबका मालिक आज से उपहारग्रहिता हो गया है।

उपहारग्रहिता को अधिकार होगा कि वह उपहार पत्र के अन्त में वर्णित सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे लाभ उठाये, अपने उपयोग-उपभोग में लाये व अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय करे या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित करे इसमें मुझ उपहारदाता को व मेरे किसी उत्तराधिकारी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह कि कब्जा निर्विवाद निम्न विवरण सम्पत्ति से मुझ उपहारदाता ने अपना हटाकर व उठाकर उपहारग्रहिता का मौके पर अपने तुल्य करा दिया है। उपहारग्रहिता को अधिकार होगा कि वह उपहार पत्र के अन्त में वर्णित सम्पत्ति पर से मुझ उपहारदाता का नाम खारिज कराकर अपना नाम बतौर सम्पत्ति स्वामी दर्ज करवा लें।

जो-जो अधिकार उपहार पत्र के अन्त में वर्णित सम्पत्ति की बावत आज तक मुझ उपहारदाता को प्राप्त है अथवा भविष्य में प्राप्त होने सम्भव हो, उन सबका मालिक आज से उपहारग्रहिता हो गयी है।

उपहार पत्र के अन्त में वर्णित सम्पत्ति की बावत आज तक के समस्त कर आदि करने की जिम्मेदारी मुझ उपहारदाता की होगी व आज के बाद की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी उपहारग्रहिता की होगी।

यदि भविष्य में मुझ उपहारदाता को उपहारग्रहिता के स्वामित्व, अधिकार की पुष्टि हेतु अन्य कोई लेख, शपथपत्र या बयान देने की आवश्यकता होगी तो ऐसी दशा में उपहारदाता समस्त कार्यवाही उपहारग्रहिता की पूर्ण सूचना व व्यय पर करने के लिए सदैव तैयार रहेगा।

यह कि उपहार में दी जा रही सम्पत्ति की भूमि का मूल्य क्लेक्टर देहरादून द्वारा निर्धारित सर्किल रेट मु0 5400/- रुपये प्रति वर्गमीटर की मु0 5,72,400/- रुपये आती है सूची में वर्णित सम्पत्ति में 151.35 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल है किन्तु विक्रीत सम्पत्ति 5 मीटर से अधिक एवं 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर स्थित होने के कारण निर्धारित सर्किल रेट मूल्यांकन पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्यांकन जोड़कर विक्रीत भूमि की कीमत मु0 6,01,100/- रुपये बनती है तथा सार्वजनिक निर्माण की दर मु0 15,000/- रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से निर्माण की कीमत मु0



22,70,400/-रूपये बनती है इस प्रकार कुल कीमत मु0 28,71,500/-रूपये रूपये बनती है जिस पर नियमानुसार 1 प्रतिशत की दर से 28,800/- रूपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

इस उपहारपत्र में जहाँ-जहाँ शब्द "उपहारदाता" एवं "उपहारग्रहिता" प्रयुक्त हुये है, वहाँ-वहाँ सन्दर्भानुसार दोनों के उत्तराधिकारी हित प्रतिनिधि आदि का समावेश समझा जायेगा।

#### वांछित विवरण

1. यह कि उपहारदाता एवं उपहारग्रहिता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।
2. यह कि उपहारग्रहिता, उपहारदाता की पत्नी है।
3. यह कि उपहारग्रहिता, उपहारदाता की पत्नी है जिस पर उत्तरांचल अधिनियम सं0 29 सन् 2003 के प्राविधान इस सम्पत्ति पर लागू नहीं होते।
4. उपहार में दी जाने वाली सम्पत्ति मुख्य सहारनपुर रोड से 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।
5. यह कि उपहार की जाने वाली सम्पत्ति नगर निगम देहरादून की सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।
6. यह कि उपहार की जा रही भूमि में कोई, पेड़, बाग आदि नहीं है।
7. यह कि उपहार की जाने वाली सम्पत्ति का मानचित्र संलग्न है।

#### विवरण उपहार में दी गई सम्पत्ति

आवासीय सम्पत्ति मय छत कि अधिकारों सहित जिसका भूमिखरी भूमि खाता खतौनी संख्या 00005 (फसली वर्ष 1420 से 1425) खसरा नं0 48 क्षेत्रफल 106 वर्गमीटर स्थित मौजा चन्द्रबनी खालसा, परगना पछवादून, जिला देहरादून जिसके भू-तल पर निर्मित क्षेत्रफल 72.89 वर्गमीटर एवं प्रथमतल पर निर्मित क्षेत्रफल 78.46 वर्गमीटर है कुल निर्मित क्षेत्रफल 151.35 वर्गमीटर है, जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार है:-

पूरब में :- 6.10 मीटर चौड़ी सड़क, सीमा नाप 39 फीट

पश्चिम में :- सम्पत्ति अन्य, सीमा नाप 36 फीट 6 इंच

उत्तर में :- 12 मीटर चौड़ी सड़क, सीमा नाप 31 फीट 4 इंच

दक्षिण में :- सम्पत्ति अन्य, सीमा नाप 29 फीट 6 इंच



रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंट्स  
उपहारदाता का नाम व पता:—श्री अनीश बिष्ट पुत्र स्व० श्री दीवान सिंह निवासी—ग्राम  
चन्द्रबनी खालसा, पो०ओ० मोहब्बेवाला, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

बांये हाथ (*Left Hand*) की अंगुलियों के चिन्ह


अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठका



दाये हाथ (*Right Hand*) की अंगुलियों के चिन्ह




अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठका



.....हस्ताक्षर उपहारदाता

उपहारग्रहिता का नाम व पता:—श्रीमती मोनिका बिष्ट पत्नी श्री अनीश बिष्ट  
निवासी—ग्राम चन्द्रबनी खालसा, पो०ओ० मोहब्बेवाला, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

बांये हाथ (*Left Hand*) की अंगुलियों के चिन्ह






अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठका



दाये हाथ (*Right Hand*) की अंगुलियों के चिन्ह






अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका


कनिष्ठका




.....हस्ताक्षर उपहारग्रहिता




अतः यह उपहार विलेख आज दिनांक 22-05-2017 को स्थान देहरादून में निम्नलिखित साक्षियों के समक्ष अंकित निष्पादित किया गया कि प्रमाण रहे व समय पर उपयोग हों।



उपहारदाता के हस्ताक्षर



.....उपहारग्रहिता के हस्ताक्षर




गवाह:-1.

श्री अरुण कुमार शर्मा  
एडवोकेट

कोर्ट कम्पाउण्ड देहरादून।

Reg. No. UK 31/2015




गवाह:-2.

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र मदन मोहन सिंह  
निवासी-156, चन्द्रबनी खालसा,  
मोहब्बेवाला देहरादून।

Adhaar-713731563489

रचियता:-हरेन्द्र सिंह गुसाईं, एडवोकेट, कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून।






## मानचित्र उपहार विलेख

(बिना माप)


आवासीय सम्पत्ति मय छत कि अधिकारों सहित जिसका भूमिखरी भूमि खाता खतौनी संख्या 00005 (फसली वर्ष 1420 से 1425) खसरा नं० 48 क्षेत्रफल 106 वर्गमीटर स्थित मौजा चन्द्रबनी खालसा, परगना पछवादून, जिला देहरादून जिसके भू-तल पर निर्मित क्षेत्रफल 72.89 वर्गमीटर एवं प्रथमतल पर निर्मित क्षेत्रफल 78.46 वर्गमीटर है कुल निर्मित क्षेत्रफल 151.35 वर्गमीटर है।

उपहारदाता का नाम: श्री अनीश बिष्ट

उपहारगृहिता का नाम: श्रीमती मोनिका बिष्ट



12 मीटर चौड़ी सड़क



हो उपहारदाता

हो उपहारगृहिता



बही संख्या 1 जिल्द 1,667 के पृष्ठ 221 से 242 पर क्रमांक 2280

पर आज दिनांक 22 May 2017 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /  
उप-निबंधक, देहरादून, तृतीय  
22 May 2017



COMMERCIAL

INDUSTRIAL

## Mussoorie Dehradun Development Authority

APPLICANT COPY

Date : 26/08/2017

Map No. MAP/P/R/1108/17-18

Challan No. MDDA/CH/3350/17-18

Name Mr. monika bisht

Co-Applicants

monika bisht w/o anish bisht village chander bani khalsa d.dun., monika bisht w/o anish bisht chanderbani khalsa d.dun., Dehradun, Uttarakhand-248001



Development Charges

7,611.00

IFSC code

BARB0TRADEH

Compounding Fee

13,032.00

Account No.

39980100000919

Supervision Fee

507.00

Bank

Bank of Baroda

Subdivision Charge

22,148.00

Branch

Transport Nagar

Labour Cess

14,715.00

Total (Rs)

58,013.00

Amount in Words

(Rupees. Fifty Eight Thousand and Thirteen only)

बैंक ऑफ बरोडा  
Bank of Baroda  
ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून

21 SEP 2017

58013

नगद मुगतान/नगद प्राप्ति

रु0.....

2





## Mussoorie Dehradun Development Authority

Transport Nagar, Saharanpur road,

Near ISBT, Dehradun-248001

(Uttarakhand) INDIA

Phone : +91 135 6603100

Fax : +91 135 6603103

Email : info@mddaonline.in

Website : www.mddaonline.in

### Sanction Letter

Reference : MDDA/SL/LTR/1670/17-18

Date : 22/09/2017

Map Number : SR-0138/17-18-RE1

Shri / Smt / M/S : monika bisht

Co-Applicants :

Your application dated 24/07/2017 regarding construction (with enclosed map) proposed by you situated at, kh.no.48 chanderbanikhalsa d.d,kh.no.48 chanderbani khalsa d., Chandrabani Khalasa has been accepted with the following terms & conditions.

1. This map is valid for five years from the date of approval, after that no construction work will be done.
2. By approval of this map, the rights and ownership of any government department or local body or any individual in the government department is not affected.
3. The Map will be used for the same purpose for which it has been approved, if there is any deviation in purpose, the whole construction will be considered invalid.
4. For any development work in future, if development charges are asked, shall be payable without any objection. If required, additional development charges for any project development work in the same area shall be paid without any objection, so that the development work of the area could be done from the development charges received from the same area.
5. The government or the local body will not be responsible for any development work in the area which is not suitable for the development work.
6. Doors and windows should be fixed in such a way that they don't open in any government land or road and do not affect the light or air of any other house.
7. One approved copy of the map shall always be kept at the construction site so that it can be investigated at any time. The construction will be done as per the approved map specifications and the applicant shall be responsible for ownership of the building.
8. The road service lane or the government land shall not be used for putting any building construction material and the arrangement of sewage shall be done



# Mussoorie Dehradun Development Authority

Transport Nagar, Saharanpur road,

Near ISBT, Dehradun-248001

(Uttarakhand) INDIA

Phone : +91 135 6603100  
Fax : +91 135 6603103  
Email : info@mddaonline.in  
Website : www.mddaonline.in

by self.

9. After the completion of the construction work, within 3 months of the completion according to the approved map, certificate should be obtained from the authority  
then only the building should be used else the approval will be cancelled.
10. If there is any tree in construction area; before cutting it, approval must be taken.
11. After getting the approval, at any point of time if the Vice Chairman or any other authorized person finds out the approval has been taken by hiding the facts or by submitting the forged documents the officer will have right to cancel the approval and in that case the construction under the map will stand cancelled.
12. After getting the approval if the court cancels the ownership of the applicant the approval will stand cancelled automatically.
13. The approval of the map will not be considered as ownership of the map and in any court this map will not be considered as proof of land ownership.
14. If there is any violation on ceiling land, government land or public land, this approval will stand cancelled automatically.
15. In road widening area if there is any violation of boundary wall, gate or public land, the approval will stand cancelled automatically.
16. In summer season, keeping in view the drinking water scarcity, between 15th April to 30th June; the construction will not be done.
17. Hill cutting will not be done from any hilly terrain.
18. During the building construction, earthquake and other security measures must be considered.
19. 2 trees must be planted in the front portion of the building.
20. In case if there is change in name of the building owner in the approved map or renaming the building, it is mandatory to inform the authority.